

फर्द अहकाम

उप लिखित अधिकारी जनपदात्मिका, पन्डुल
 भग्नी देवी बनाम कलली देवी
 ज्या / वर्ष : 21 / 20 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/10/22	<p>पत्रावली पत्र द्वारा आदेशवत्ता सम्ब द्वारा अपील/कार्य का बहिष्कार करने पर पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/10/22 पेश 3</p>	
10/10/22	<p>जनावली पेश हुई। वकील शर्मा उपाधी वकील शर्मा ने आज्ञा नोटिस प्रस्तुत किया नहीं किया। वकील शर्मा की यह अपील उचित नहीं। वकील शर्मा को 600 रुपये का माहिरा की पालना नहीं की। मात्र - माहिरा के माहिरा की पालना नहीं करने के कारण व दावे को अधिकतर धराबिह रखते हुए अज्ञात की माहिरा उ रिफरेंस - (सी.पी.सी.) के तहत शान्ति क्रिया प्राप्त हुए जनावली फौजदारी शुभकर होकर नगमाल ले कर है। यह प्रति साक्षिक पत्र है।</p> <p style="text-align: right;">10/10/22 उपखण्ड अधिकारी जनपदात्मिका</p>	